[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं 79/2018-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर,2018

सा.का.नि..................(अ).- केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं. 609(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सारणी (1) के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय कर अधिकारी और उनके अधीनस्थ अधिकारी, उन मामलों, जो बोर्ड द्वारा समनुदेशित किए जाएं, के सम्बन्ध में उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी केन्द्रीय कर अधिकारी की संपूर्ण राज्य क्षेत्र अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम के अध्याय 15 की धारा 73, धारा 74, धारा 75 और धारा 76 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।"

[फा. सं. 20/06/17/2018-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल)
अवर सचिव, भारत सरकार